

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्रीमती चन्द्रमोहिनी शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवास-निवाई जिला टोंक मे कार्यरत थी, जिनकी जन्मतिथि 06.09.1957 है, जो कि दिनांक 30.09.2017 को अधिवार्षिकी आयुपरान्त राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुकी है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री श्रीमती चन्द्रमोहिनी शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवास-निवाई जिला टोंक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीनच /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/प्रपत्र-6/से.संतोष/2018 दिनांक : - 20-02-2018
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, अजमेर
 2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
 3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), टोंक
 4. कोषाधिकारी, टोंक
 5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवास-निवाई जिला टोंक
 6. श्रीमती चन्द्रमोहिनी शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवास-निवाई जिला टोंक
 7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोकर करने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री हरलाल सिंह धायल, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खीरवा-लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कार्यरत हैं, जिनकी जन्मतिथि 26.12.1961 है एवं राजस्थान सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 23.11.1985 है, ने निम्नानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 15.03.2018 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति माही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रुत्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 15.03.2018 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री हरलाल सिंह धायल, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचारधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचारधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचारधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल्)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/संग0सेनि/2018 दिनांक :- 20-02-2018

प्रति लिपि : निम्नांकित को सूचनाथे एवं आकषक कार्यवाही हेतु पणित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम), सीकर
4. कोषाधिकारी, सीकर
5. श्री हरलाल सिंह धायल, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खीरवा-लक्ष्मणगढ़ जिला, सीकर
6. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खीरवा-लक्ष्मणगढ़ जिला, सीकर
7. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
8. शिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय कक्षा
9. प्रचारी बी-न/ग कार्यालय कक्षा।
10. संश्लेष पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कानून)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि व समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारियों को, सेवा-नियम-1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12 (6) वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किये जाता है :-

क्रं.सं	नाम शिक्षा अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती.....	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	श्री राधाचरन लाल मीना, प्रधानाध्यापक	रामावि धौध-बसेडी जिला धौलपुर	11-02-1958	28-02-2018

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिक के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।


(नथमल डिल्ले)
आई.ए.ए.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 20/02/2018

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/ सेवानिवृत्तियां /2017-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा)
- 02 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा/ नियन्त्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश में उल्लेखित राजस्थान शिक्षा सेवा के अधिकारियों से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे।
- 04 सम्बन्धित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 05 सिस्टम एनॉलिस्ट (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को अपलोडिंग किये जाने हेतु।
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष
- 07 सम्बन्धित कार्मिक/निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर